भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 4332

(जिसका उत्तर सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक) को दिया गया)

उत्तर प्रदेश में सीएसआर व्यय

4332. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के उपयोग द्वारा किए गए कार्यों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में खर्च की गई सीएसआर निधि का कंपनी-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी भी कंपनी द्वारा रामपुर में सीएसआर निधि खर्च नहीं करने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों पर भी सीएसआर निधि खर्च की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, सभी कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2016-17 से 2020-21 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में किया गया सीएसआर निधि संबंधी व्यय निम्नानुसार है:

विवरण	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21
कंपनियों की संख्या	19555	21521	25179	22953	18012
सीएसआर व्यय (करोड़ रु. में)	14,394.55	17,098.20	20,196.95	24,954.78	25,714.65

(30.09.2022 तक का डाटा) [स्रोतः राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

जारी....2/-

सभी कंपनियों द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) 2016-17 से 2020-21 के दौरान किया गया सीएसआर व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और विकास क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I और II पर दिया गया है।

(ख) और (ग): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किया गया सीएसआर से संबंधित समस्त डाटा, विकास क्षेत्र-वार और कंपनी-वार सहित, सार्वजनिक डोमेन में www.csr.gov.in पर उपलब्ध है। कंपनियों द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) 2016-17 से 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

जिला	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21
रामपुर (करोड़ रु. में)	0.88	2.13	1.60	2.84	1.78

(30.09.2022 तक का डाटा) [स्रोतः राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

इसके अतिरिक्त, कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर डाटा 31.03.2023 को या उससे पहले फाइल करना अपेक्षित है।

इस अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सरकार कंपनियों को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या कार्यकलाप पर व्यय करने के लिए कोई विशेष निदेश जारी नहीं करती है।

(घ): इस अधिनियम की अनुसूची VII उन कार्यकलापों की पात्र सूची को इंगित करती है जिन्हें कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यकलापों के रूप में शुरू किया जा सकता है। सीएसआर ढांचा प्रकटन पर आधारित है और कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करना अपेक्षित है। जब कभी-भी सीएसआर उपबंधों के उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो ऐसी गैर-अनुपालनकर्ता कंपनियों के विरूद्ध रिकार्डों की सम्यक जांच के उपरांत और सम्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब, सीएसआर उपबंधों के गैर-अनुपालन को दिनांक 22 जनवरी, 2021 से सिविल रौंग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

******

अनुलग्नक-I

दिनांक 27.03.2023 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21
1	अंडमान और निकोबार	0.63	0.73	0.82	1.29	2.86
2	आंध्र प्रदेश	743.68	575.07	665.97	710.12	715.81
3	अरुणाचल प्रदेश	24.05	11.91	24.56	18.02	10.58
4	असम	256.92	211.33	210.00	285.00	167.78
5	बिहार	100.62	106.17	137.57	110.48	79.30
6	चंडीगढ़	21.96	20.51	11.46	15.58	13.19
7	छत्तीसगढ़	84.66	176.70	149.35	269.68	307.83
8	दादरा और नगर हवेली	7.37	6.98	13.48	18.34	21.98
9	दमन और दीव	2.63	20.23	6.25	9.53	5.25
10	दिल्ली	460.25	579.37	750.76	829.50	713.58
11	गोवा	36.25	53.77	46.77	43.91	41.78
12	गुजरात	865.30	967.97	1,082.18	984.15	1,443.62
13	हरियाणा	386.17	363.43	378.11	536.57	542.45
14	हिमाचल प्रदेश	22.83	69.23	78.79	78.61	105.01
15	जम्मू और कश्मीर	42.65	50.77	36.44	25.27	35.47
16	झारखंड	95.49	109.23	109.80	155.21	210.27
17	कर्नाटक	875.41	1,145.42	1,252.23	1,448.08	1,265.05
18	केरल	133.82	219.73	354.78	298.56	286.52
19	लक्षद्वीप	-	2.27	0.39	-	0.01
20	मध्य प्रदेश	161.11	163.92	243.55	215.33	354.50
21	महाराष्ट्र	2,414.80	2,797.53	3,147.66	3,348.82	3,426.31
22	मणिपुर	12.35	4.81	7.81	14.21	10.30
23	मेघालय	9.75	11.18	16.54	17.65	12.46
24	मिजोरम	0.08	1.28	0.11	0.25	0.97
25	नागालैंड	0.53	1.81	2.12	5.10	3.57
26	ओडिशा	325.89	504.22	697.91	716.81	567.63
27	पुदुचेरी	7.43	6.09	9.15	11.32	11.97
28	पंजाब	75.05	112.36	166.85	188.52	137.29
29	राजस्थान	353.22	443.35	595.49	734.12	657.86
30	सिक्किम	6.71	7.00	5.87	10.99	15.16
31	तमिलनाडु	547.94	669.65	877.08	1,072.02	1,145.67
32	तेलंगाना	256.15	380.57	428.06	445.80	624.22
33	त्रिपुरा	1.25	1.88	23.06	9.40	9.29
34	उत्तर प्रदेश	321.23	435.21	521.32	577.91	870.13
35	उत्तराखंड	102.37	85.79	172.31	124.70	155.43
36	पश्चिम बंगाल	275.68	338.32	382.23	422.95	464.65
37	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया *	7.63	137.93	4.44	26.41	176.20
38	पैन इंडिया **	4,567.46	5,505.31	6,429.81	9,385.41	7,684.81
39	अनुसूची VII में शामिल निधियों में योगदान	787.22	799.18	1,155.86	1,789.15	3,417.89
कुल योग (करोड़ रुपये में)		**14,394.55**	**17,098.20**	**20,196.95**	**24,954.78**	**25,714.65**

(30.09.2022 तक के आंकडे) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

* कंपनियों ने उस राज्य का नाम निर्दिष्ट नहीं किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

** कंपनियों ने एक से अधिक राज्यों के नाम दर्शाए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

******

अनुलग्नक-II

दिनांक 27.03.2023 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विकास क्षेत्रवार सीएसआर डाटा (करोड़ रू. में)						
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च की गई राशि**	**वित्त वर्ष 2017-18 में खर्च की गई राशि**	**वित्त वर्ष 2018-19 में खर्च की गई राशि**	**वित्त वर्ष 2019-20 में खर्च की गई राशि**	**वित्त वर्ष 2020-21 में खर्च की गई राशि**
1	कृषि वानिकी	45.48	66.79	64.75	67.38	19.24
2	पशु कल्याण	78.71	63.52	98.33	106.12	192.71
3	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं/आश्रित	37.86	29.09	90.18	62.04	83.76
4	कला और संस्कृति	305.57	395.22	225.94	933.47	484.68
5	स्वच्छ गंगा कोष	24.37	33.96	8.11	6.63	13.39
6	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	119.09	228.14	173.55	160.60	90.96
7	शिक्षा	4,519.24	5,763.08	6,102.18	7,175.85	6,607.64
8	पर्यावरणीय स्थिरता	1,076.46	1,301.96	1,367.99	1,470.26	1,029.12
9	लैंगिक समानता	72.60	24.01	51.86	82.93	42.54
10	स्वास्थ्य देखभाल	2,499.95	2,776.95	3,612.03	4,902.69	7,182.67
11	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	516.70	832.40	907.64	1,077.59	821.16
12	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	419.99	292.73	731.06	931.97	1,564.89
13	गरीबी, भूखमरी, कुपोषण	606.55	811.20	1,192.60	1,159.01	1,380.27
14	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	158.80	200.42	321.19	797.13	1,678.76
15	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,561.45	1,724.07	2,433.44	2,299.63	1,847.15
16	सुरक्षित पेयजल	156.32	220.87	228.23	253.18	202.32
17	स्वच्छता	423.74	460.68	506.66	521.72	335.45
18	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	27.75	40.10	46.51	52.18	55.96
19	महिलाओं के लिए गृहों और छात्रावासों की स्थापना	62.22	70.58	57.01	48.50	43.27
20	अनाथालय की स्थापना	16.80	39.87	12.89	36.50	21.76
21	स्लम क्षेत्र विकास	51.49	39.16	51.06	42.94	88.85
22	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	148.01	155.95	167.92	214.85	126.66
23	विशेष शिक्षा	165.33	140.01	186.13	196.88	207.61
24	स्वच्छ भारत कोष	184.06	272.07	95.50	53.42	160.85
25	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	25.40	16.94	32.10	53.50	62.62
26	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	180.76	285.41	309.59	303.72	242.49
27	व्यावसायिक कौशल	378.74	546.46	798.36	1,181.13	640.43
28	महिला सशक्तिकरण	142.14	251.37	236.54	259.37	204.80
29	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया *	388.96	15.20	87.61	503.59	282.65
कुल योग (करोड़ रू. में)		**14,394.55**	**17,098.20**	**20,196.95**	**24,954.78**	**25,714.65**

(30.09.2022 तक के आंकड़े) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

*** कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

******